न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर–5/2019 (2019/00154) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–गोपीनाथ पिता हजारीनाथ जोगी निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1–दरियावकंवर पत्नि बालुसिंह राजपूत निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–फतहसिंह पिता बगतावरसिंह राजपूत निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–अमरसिंह पिता बगतावरसिंह राजपूत निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–सुवानाथ पिता हजारीनाथ जोगी निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन– अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 04.02.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 5 की खातेदारी व आधिपत्य की ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर में हाल आराजी 739 रकबा 0.20 है0, 741 रकबा 0.08 है0, 742 रकबा 0.19 है0, 743 रकबा 0.18 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.65 है0 भूमि स्थित है व आराजी संख्या 744 रकबा 0.05 है0 चाह स्थित है जो साबिक नम्बर 96/1मीन एवं 98 से बने है। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। विपक्षी संख्या एक लगायत 3 के खातेदारी की वर्तमान आराजी संख्या 738 रकबा 0.27 है0, 745 रकबा 0.16 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.43 है0 भूमि स्थित है आराजी संख्या 738 के साबिक नम्बर 97/1 रकबा एक बीघा, 97/2 रकबा 5 बिस्वा, आराजी संख्या 745 के साबिक नम्बर 99 रकबा 15 बिस्वा है। साबिक नक्शे के अनुसार प्रार्थी व विपक्षी संख्या पांच की आराजी संख्या 96/1मीन रकबा तीन बीघा के पश्चिम दिशा में आराजी संख्या 98 रकबा 5 बिस्वा, 99 रकबा 15 बिस्वा, 97 अवस्थित थी लेकिन दोराने बन्दोबस्त भू–प्रबन्ध अधिकारियों ने नवीन आराजी नम्बर 739, 743, 744 के मध्य की रेखा को प्रार्थी व विपक्षी संख्या पांच की आराजी में शामिल कर दिया व चाह संख्या 744 को भी प्रार्थी व विपक्षी संख्या पाच की आराजी में बढ़ा दिया यानि कि साबिक नक्शे व वर्तमान नक्शे के स्वरूप को बदल दिया जबकि साबिक नक्शे के अनुसार प्रार्थी व विपक्षी संख्या पांच एवं विपक्षी संख्या एक लगायत तीन के मध्य की रेखा बिल्कुल समानान्तर थी तथा चाह संख्या साबिक नक्शे में 98 के अनुसार पश्चिम दिशा में ही स्थित था व वर्तमान में भी पश्चिम दिशा में ही स्थित है जिसके अवलोकनार्थ वर्तमान नक्शा व साबिक नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। वर्तमान नक्शे की प्रार्थी व विपक्षी संख्या पांच की आराजी संख्या 739, 743 की पश्चिमी भूजा को साबिक नक्शे के अनुसार समानान्तर साबिक नक्शे के अनुसार किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। उक्त त्रुटि दोराने बन्दोबस्त हुई है। भू–प्रबन्ध अधिकारियों को नक्शे का स्वरूप बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। भू–प्रबन्ध अधिकारियों ने प्रार्थी व विपक्षी संख्या पांच एवं विपक्षी संख्या एक लगायत तीन के मध्य की नक्शे की रेखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.13 13:48:52 IST
Reason: SelfAttested

को गलत फिट कर दिया है जिससे पूर्व की भांति फिट किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः सादर निवेदन है कि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर हाल आराजी संख्या 739, 743, 744 के साबिक नक्शे के अनुसार नवीन नक्शे में दुरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें व तदनुसार नवीन नक्शें में संशोधन कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 14.08.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटीस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। विपक्षी कमांक 5 स्वयं उपस्थित जिसको कोई आपति नही की है। एवं विपक्षी संख्या 4 फौरमल पक्षकार है।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर द्वारा रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्रमा कलालखेड़ी में प्रार्थी गोपीनाथ पिता हजारीनाथ जोगी निवासी कलालखेड़ी के नाम आराजी संख्या 739, 741, 742, 743 कुल किता 4 कुल रकबा 0.65 है0 भूमि दर्ज रेकार्ड है एवं विपक्षीगण के नाम आराजी संख्या 738, 745 कुल किता 2 रकबा 0.43 है0 एवं चाह 744 रकबा 0.05 है0 दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी गत नक्शे अनुसार दुरस्त करना चाहता है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए साबिक नक्शे के अनुसार दुरस्त करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न साबिक व नवीन राजस्व रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पाया कि साबिक नक्शे में प्रार्थी की आराजी संख्या 96/1 की पश्चिमी मेड़ उत्तर से दक्षिण सीधी है जबकि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा इस आराजी के जो नवीन खसरा नम्बर बनाये गये है जिसमें आराजी संख्या 739 व 743 की पश्चिमी मेड़ के पास विपक्षी का कुआं जो आराजी संख्या 744 है के फेरे को प्रार्थीगण की आराजी में बढ़ाते हुए नम्बर दिया गया जबकि साबिक नक्शे में विपक्षी के कुएं का फेरा जो अन्तिम लाईन सीधी है इस प्रकार भू प्रबन्ध विभाग द्वारा विपक्षी के कुएं की सीमा प्रार्थी की ओर बढ़ाना स्पष्ट प्रमाणित है जिसे साबिक के अनुरूप दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि ग्राम कलालखेड़ी के हाल राजस्व नक्शे में दर्ज आराजी संख्या 739 ओर 743 की पश्चिमी मेड़ रकबे को ध्यान में रखते हुए साबिक नक्शे के अनुसार सीधी करते हुए सीमा निर्धारित की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को ... लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.13 13:48:52 IST
Reason: SelfAttested

04.02.2021

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—5/2019 (2019/00154) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—गोपीनाथ पिता हजारीनाथ राजपूत निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—दरियावकंवर पत्नि बालुसिंह राजपूत निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—फतहसिंह पिता बगतावरसिंह राजपूत निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—अमरसिंह पिता बगतावरसिंह राजपूत निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—सुवानाथ पिता हजारीनाथ जोगी निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट.

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि ग्राम कलालखेड़ी के हाल राजस्व नक्शे में दर्ज आराजी संख्या 739 ओर 743 की पश्चिमी मेड़ रकबे को ध्यान में रखते हुए साबिक नक्शे के अनुसार सीधी करते हुए सीमा निर्धारित की जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 04.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.13 13:48:52 IST
Reason: SelfAttested